दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार, 9 अप्रैल, 2001/चैत्र 19, 1923 (शक)

संख्या-56

1. 2.04 बजे **निधन संबंधी उल्लेख**

सदन द्वारा पूर्व उप प्रधान मंत्री, चौ. देवी लाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई । दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन भी धारण किया गया ।

2. 2.08 बजे श्री शादी राम ने श्री शीश पाल की गिरफ्तारी और स्थिति के बारे में मामला उठाया । अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हो गई है और आगे की सूचना अपेक्षित है ।

3. 2.10 बजे **प्रश्न**

तारांकित प्रश्न : तारांकित प्र.सं. 181, 182 एवं 185 पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये । तारांकित प्र.सं. 183, 184 तथा 186 से 200 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अतारांकित प्रश्न : अतारांकित प्रश्न संख्या-708 से 741 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

4. 3.00 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये पत्र**

डॉ. ए.के. वालिया, शहरी विकास मंत्री ने 14 मार्च, 2001 को प्रस्तुत दूसरे वित्त आयोग पर कार्यवाही रिपोर्ट के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सदन पटल पर रखी ।

5. 3.01 बजे सदस्यों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं पर व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें सदस्यों से विभिन्न विषयों पर चर्चा हेतु 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मामले की महत्वत्ता और आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने पूर्वी दिल्ली में कार में सी.एन.जी. सिलैण्डर फटने से दिल्ली के लोगों में व्याप्त भय के संबंध में दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को अपनी सहमति दी है ।

6· 3·07 बजे अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर श्री जगदीश आनन्द ने सदन से बहिर्गमन किया ।

7· 3·10 बजे **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

श्री अरविन्दर सिंह लवली ने मुख्य मंत्री का ध्यान पूर्वी दिल्ली में एक कार में सी·एन·जी·सिलेण्डर के फटने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित किया ।

मुख्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा :-

श्रीमती किरण वालिया
श्री नरेश गौड़
श्री मुकेश शर्मा
श्री अमरीश सिंह गौतम
श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
डॉ· हर्षवर्द्धन
श्री रूप चन्द
श्री शोएब इकबाल
श्री सुशील चौधरी
श्री ब्रहम पाल
श्री जिले सिंह चौहान
श्री भीष्म शर्मा

8· 4·00 बजे **जलपान अवकाश**

9· 4·37 बजे सदन पुनः समवेत हुआ । निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-287 कें अंतर्गत मामले उठाये:-

श्री मोहन सिंह बिष्ट
श्री अरविन्दर सिंह लवली
श्रीमती किरण वालिया
श्री भीष्म शर्मा (मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
श्रीमती दर्शना रामकुमार (मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
श्री सुरेन्द्र कुमार (मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
श्री सुशील चौधरी
श्री माला राम गंगवाल (मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
श्री जय भगवान

श्री रूप चन्द

श्री शोएब इकबाल ﴾मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया﴿

10· 4·56 बजे अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली पुलिस द्वारा श्री शीश पाल की गिरफ्तारी व कालकाजी पुलिस स्टेशन से उनकी रिहाई के बारे में सदन को सुचित किया ।

11· **5·10 बजे** **विधायी प्रस्ताव**

विधेयकों पर विचार एवं पारण

1· श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली विलासिता वस्तु कर विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । वित्त मंत्री ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में वक्तव्य दिया और उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी । श्री मुकेश शर्मा ने भी विधेयक के संबंध में अपने विचार प्रकट किया । तत्पश्चात्, विधेयक को खण्डवार विचार के लिये रखा गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2﴾जी﴿ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2﴾क﴿ में दिया गया अपना संशोधन प्रस्तुत किया :-

"लेकिन इसमें इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को स्टॉक में पड़ी ऐसी विलासिता की वस्तुओं की कोई मात्रा शामिल नहीं होती है" शब्दों को हटा दिया जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-2 से 7 तक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-8﴾2﴿ और खण्ड-12﴾1﴿﴾एफ﴿ में दिये गये अपने संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिये ।

खण्ड-8 से 17 तक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-18(4) में अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :-

शब्द "पांच हजार को "पांच सौ" पढ़ा जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-18 एवं 19 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने अनुसूची के क्रम संख्या-5 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

श्री मुकेश शर्मा ने अनुसूची के क्रम संख्या-6 में निम्न संशोधन पेश किया :-

"1300 सीसी की क्षमता वाले सभी वाहन" जोड़ा जाये-

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने अनुसूची के क्रम संख्या-8 में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा- 5 के अंतर्गत छूट है" शब्दों को हटा दिया जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने अनुसूची के क्रम संख्या-9 में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :-

"30 इंच" के स्थान पर "सभी विलासिता टेलीविजन" जोड़ा जाये

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्री मुकेश शर्मा ने अनुसूची के क्रम संख्या-15 में दिया गया अपना संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उस क्षमता से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है" शब्दों को हटा दिया जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्री मुकेश शर्मा ने संशोधन किया कि अनुसूची में क्रम संख्या-15 के बाद निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाये :-

मूल संशोधन अंग्रेजी में॥

अनुसूची को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1,प्रस्तावना व शीर्षक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

5·39 बजे — वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और पारित किया गया ।

12· **5·40 बजे** — 2· श्रीमती शीला दीक्षित,मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली सूचना अधिकार विधेयक,2001 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । मुख्य मंत्री ने विधेयक के संबंध में वक्तव्य दिया । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय माकन

श्रीमती किरण वालिया

डॉ·हर्षवर्द्धन

मुख्य मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया । तत्पश्चात्,विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया :-

श्रीमती किरण वालिया,श्री वीर सिंह,श्री अमरीश सिंह गौतम,श्री राजेश जैन और श्री रमाकान्त गोस्वामी ने सदन की अनुमति से अपने संशोधन वापस ले लिये ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2॥ए॥ में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :- "सरकार" के बाद "समय-समय पर शासकीय राजपत्र में" शब्दों को जोड़ दिया जाये-

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2§सी§ एवं 2§एफ§§1§ में दिये गये अपने संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिये ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2 में निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

"खण्ड-2 में एक नया उप-खण्ड जोड़ा जाये- "निर्धारित का अर्थ है नियमों में यथानिर्धारित"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-3 में दिया गया संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-3 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-4§बी§ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-4§बी§§ § में निम्न संशोधन पेश किया- शब्द "नियमों" से पहले "विधियों और उप-विधियों" जोड़ा जाये-

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-4 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-5§2§ में निम्न संशोधन पेश किया :-

"यथासंभव शीघ्र" शब्दों के पश्चात् "लेकिन सामान्यतया 15 दिन में" को जोड़ा जाये-

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-5 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-6§1§ में दिया गया संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-6 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-7 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-7 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-7 के बाद नया खण्ड जोड़ने संबंधी अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-8 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-9 के बाद नया खण्ड जोड़ने संबंधी अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-9 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-§10§§2§§सी§ में नया प्रोविजो जोड़ने के संबंध में अपना संशोधन पेश किया-

"परन्तु, यदि मुख्य मंत्री प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रभारी होगा, तब वित्त मंत्री सदस्य होगा"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-10§2§§सी§ में निम्नलिखित संशोधन दिया-
शब्द -"10" के बाद -"जिनमें से 03 सदस्य रा·रा·क्षेत्र,दिल्ली की विधान सभा के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और उनमें से एक महिला सदस्य होगी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष नामांकित करेंगे ।" - जोड़ा जाये-

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-10 से 12 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-13 के बाद नया खण्ड जोड़ने संबंधी अपना संशोधन पेश किया :-

"राज्य परिषद् के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण" : अध्यक्ष राज्य परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-13 से 15 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार कियेगये।

खण्ड-1,प्रस्तावना व शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

6·27 बजे मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और पारित किया गया ।

13· 6·28 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शीश पाल को रिहा कर दिया गया है ।

14· 6·29 बजे सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुआ ।
(राष्ट्र गान - "जन-गण-मन")

दिल्ली, एस·के·शर्मा
9·4·2001 सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART I
(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

MONDAY , THE 9TH APRIL 2001/CHAITRA 19, 1923 (SAKA)

NO : 56

1.	2.04 PM	OBITUARY House made obituary reference to the passing away of Ch Devi Lal , Former Deputy Prime Minister. Two minutes silence was observed as also a mark of respect to the departed soul.
2.	2.08 PM	Sh. Shadi Ram raised matter relating to arrest and whereabouts of Sh. Sish Pal. Chair informed the House that information about his arrest has been received and further information is awaited.
3.	2.10 PM	QUESTIONS Starred Questions : Starred Questions 181, 182 and 185 were asked and orally replied. Replies to Starred Questions 183, 184 and 186 to 200 were laid on the Table of the House. Unstarred Questions : Replies to unstarred questions 708 to 741 were laid on the Table of the House.
4.	3.00 PM	LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE Dr AK Walia Minister of Urban Development laid on the Table of the House a copy of the explanatory memorandum on the actions taken on interim report of the Second Delhi Finance Commission submitted on 14th March 2001.
5.	3.01 PM	Chair while giving ruling on various notices received from members informed the House that he had received four notices from members seeking discussions on various issues , including three call attentions notices. Keeping in view the importance and urgency of the matter, he has given consent to the call attention notice received from Sh. Arvinder Singh Lovely and others about panic among residents of Delhi due to CNG cylinder balst in a car in East Delhi.
6.	3.07 PM	Sh. Jagdish Anand not satisfied with the ruling of Chair staged a walkout.

7.	3.10 PM	CALLING ATTENTION MOTION Sh. Arvinder Singh Lovely called the attention of the Chief Minister on the situation arising out of a blast in CNG Cylinder of a car in East Delhi. Chief Minister made a statement in this regard. The following members asked clarifications: Smt Kiran Walia Sh. Naresh Gaur Sh. Mukesh Sharma Sh. Amrish Singh Gautam Sh. Tarwinder Singh Marwah Dr Harsh Vardhan Sh. Roop Chand Sh. Shoib Iqbal Sh. Sushil Chaudhary Sh. Brahm Pal Sh. Jile Singh Chauhan Sh. Bhisham Sharma
8.	4.00 PM	Tea Break
9.	4.37 PM	House re-assembled. The following members raised matters under Rule 287 : Sh. Mohan Singh Bisht Sh. Arvinder Singh Lovely Smt Kiran Walia Sh. Bhisham Sharma (Chief Minister intervened). Smt Darshana Ram Kumar (Chief Minister intervened). Sh. Surender Kumar (Chief Minister intervened) Sh. Sushil Chaudhary Sh. Malaram Gangwal (Chief Minister intervened) Sh. Jai Bhagwan Sh. Roop Chand Sh. Shoib Iqbal (Chief Minister intervened).
10.	4.56 PM	Chair informed the House about arrest of Sh. Shish Pal by the Delhi Police and his detention in Kalkaji Police Station.
11.	5.10 PM	LEGISLATIVE PROPOSALS CONSIDERATION AND PASSING OF BILLS 1. Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of finance moved that ' The Delhi Luxuries Tax on Commodities Bill, 2001 be taken into consideration. The motion was put to vote and adopted. Minister of Finance explained the provisions of the Bill and the need thereof Sh. Mukesh Sharma also placed his views on the Bill. The Bill, thereafter, was taken up for clause to clause consideration :- Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 2(g) with the leave of the House. Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Clause 2(k) : Words ' but does not include any quantity of such luxuries held in stock on the date of commencement of this Act' be deleted". The amendment was put to vote and adopted.

Clause 2 to 7 were put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew amendments in Clause 8(2) and 12(1)(f) with the leave of the House.

Clause 8 to 17 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved amendment in Clause 18(4) of the Hindi version of the Bill as follows :
" शब्द "पांच हजार" को "पांच सौ" पढ़ा जाये । "
The amendment was put to vote and adopted.

Clause 18 and 19 were put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew amendment in Sl No 5 of Schedule with the leave of the House.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in sl No 6 of the Schedule :
Add words ' all vehicles above capacity of 1300 CC' after words 'automobile'"
The amendment was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Sl No 8 of the schedule:
"Delete words 'exceeding the price range up to which exemption is granted under Sec 5'".
Amendment was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Sl No 9 of schedule
Insert words "all luxury televisions" in place of words "30 inches" ".
Amendment was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Sl No 15 of schedule:
Delete words ' above the capacity up to which the exemption is granted under Sec 5",
The amendment was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment to add the following items after Sl No 15 in the schedule:

16. Indian made foreign liquor.
17. Cosmetics, toilet goods including hair dyes, oil, soaps, shampoos exceeding the price range up to which exemption is granted under sec 5.
18. Music systems exceeding the price range up to which exemption is granted under sec 5.
19. Bathroom fittings and ceramic tiles exceeding the price range up to which exemption is granted under Sec 5.
20. Automobile accessories exceeding the price range up to which exemption is granted under Sec 5.
21. Refrigerators, Automatic Washing Machines exceeding the price range up to which exemption is granted under Sec 5.
22. All items imported under the WTO list excluding medicines.
23. Ivory articles exceeding the price range up to which exemption is granted under Sec 5.
24. All arms, ammunitions and accessories excluding defence, para-military and police purposes.
25. All tobacco items used in traditional /rural smoking equipments shall be exempted from any tax.

Schedule was put to vote and adopted.

Clause I, Preamble and title was put to vote and adopted.

5.39 PM Minister of Finance moved that the Bill be passed. Bill was put to vote and adopted.

12. 5.40 PM 2. Smt Shiela Dikshit, Chief Minister moved that "The Delhi Right to Information Bill be taken into consideration. The motion was put to vote and adopted. Chief Minister explained the provisions of the Bill. The following members participated in the debate :-

Sh. Ajay Maken
Smt Kiran Walia
Dr Harsh Vardhan

Chief Minister replied to the debate. Thereafter clause to clause consideration of the Bill was taken up.

Smt Kiran Walia, Sh. Veer Singh, Sh. Amrish Singh Gautam, Sh. Rajesh Jain and Sh. Ramakant Goswami withdrew their amendments with the leave of the House.

Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Clause 2(a) :-
Substitute words 'from time to time in official gazette' after the words 'Government'
The amendment was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew amendments in Clause 2© and 2(f)(i) with the leave of the House.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Clause 2:-
Add new sub-clause to clause 2 " prescribed means as prescribed in rules"
The amendment was put to vote and adopted.
Clause 2 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 3.
Clause 3 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 4(b) with the leave of the House and moved the following amendment in Clause 4(b)(iv) :
Add words 'lawsand bye-laws' before words ' rules"
The amendment was put to vote and adopted.
Clause 4 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Clause 5(2):
Insert words ' but normally within 15 days' after words ' as soon as practicable"
The amendment was put to vote and adopted.
Clause 5 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in clause 6(1) with the leave of the House.
Clause 6 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 7 with the leave of the House.
Clause 7 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment for a new clause after clause 7 with the leave of the House.

Clause 8 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment for a new clause after clause 9 with the l leave of the House.
Clause 9 was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment to Clause 10(2)(b) to add the following proviso:
" Provided if the Chief Minister is the Minister Incharge for the Administrative Reforms Department, then the Finance Minister shall be the Member".
The amendment was put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment to Clause 10(2)(c) :-
Add words after the word 'ten' as ' of which three members shall be the elected representatives of the Legislative Assembly of the NCT of Delhi and of which one shall be women, to be nominated by the Speaker of Assembly of NCT of Delhi"
Amendment was put to vote and adopted.
Clause 10 to 12 were put to vote and adopted.
Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment for a new clause after Clause 13 :
" Laying of Report of State Council : The Chairperson shall cause to be laid on the Table of the House Annual Report of State Council".
Amendment was put to vote and adopted.
Clauses 13 to 15 were put to vote and adopted.
Clause 1, Preamble and Title were put to vote adnd adopted.

	6.27 PM	Chief Minister moved that the Bill be passed. Bill was put to vote and Bill was passed.
13.	6.28 PM	Chair informed the House that as per message received from DCP(South) Sh. Shish Pal had been released.
14.	6.29 PM	House adjourned sine-die.(National Anthem – Jana Gana Mana).

S.K. Sharma
Secretary

Place : Delhi
Date : 9th April 2001